

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

बाबूलाल बनाम मदनलाल वगै०

Cross-2025/8

दमा नम्बर :- 06/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.01.2025	<p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में केवियट प्रार्थना पत्र लगा हुआ है। केवियट कर्ता व अप्रार्थीगण को सुने बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः केवियट कर्ता व अप्रार्थीगण को नोटीस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 10.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	
10/1/25	<p>वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस / कार्य स्थागित रखे जाने से पत्रावली गत आजानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो।</p>	
20/1/25	<p>व. प्रार्थी उपरोक्त पत्रावली-कलक्टर तलबी को वकुर आगामी दिनांक 14/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	
14/2/25	<p>प्रस्तावित पत्रावली / अवकाश पर है। अतः प्रार्थी कार्यवाही हेतु दिनांक 21/3/25 को पेश हो।</p>	
21/3/25	<p>पत्रावली पेश की। कलक्टर प्रार्थी के न्यायालय-सम्म-सम्म के लक्ष्य पर-पर-आवाग डिवायन शरीर कलक्टर प्रार्थी-अलालक व कलक्टर-अनुपस्थित है। अतः पत्रावली समझ कर प्रार्थी अज्ञान-पेशी में स्थापित की जाती है। पत्रावली उपरोक्त नाम से कलक्टर को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	